



समक्ष न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर केम्प-भोपाल

निज - 408 P/2016-16

पुनःयाचिका क्र. :-
प्रस्तुत दिनांक :- .01.2016

फूलवतीबाई पत्नि द्वारकाप्रसाद पिता बाबूलाल
निवासी - क्वाटर नं. 198 एन. 2 सी सेक्टर बरखेड़ा
बी.एच.ई.एल भोपाल तहसील व जिला भोपाल ————— आवेदक

बनाम

1) कालूराम पिता सीताराम मेहरा
2) रामबाई पति रामभरोस (कालूराम) मेहरा
दोनो निवासी - ग्राम बांदरी तहसील इटारसी
जिला होशंगाबाद (म.प्र.) ————— उत्तरवादीगण

पुनरीक्षक याचिका धारा 50 मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता के अंतर्गत

आवेदक यह पुनरीक्षक याचिका अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सिवनी
मालवा जिला होशंगाबाद के राजस्व अपील प्रकरण क्रमांक 12 अ 06 वर्ष 2014-15 में फूलवती बाई
विरुद्ध कालूराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 31.12.2015 से क्षुब्ध एवं व्यथित होकर माननीय
न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हैं।

—: प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :-

mi Sachin chohan
Adv. द्वारा पेश
Reader to
Clerk

उपरीक्षक
जिला होशंगाबाद
27/1/2016

1.6.25.2-16
Sl.
श्रीमान् राजस्व
मण्डल
28.1.16.

R 408-Prk/16 गोरगा

28.11.2017

DN

आवेदक की ओर से युक्ता
उपरोक्त कोई भी उपाख्यत नहीं।
आवेदकगण की ओर से भी आ०
पी० यादव आयोगाध्यक्ष उपाख्यत।
तीन बार पुकार लगावाई गई, फिर
भी कोई उपाख्यत नहीं। अंतः
प्रकाश आरम पीवी में निरस्त
किया जाता है।

अक्षय

अक्षय

अक्षय